

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 100 : Appeal to Appellate Authority

- (1) The concerned officer, the jurisdictional officer or an applicant aggrieved by any advance ruling pronounced under sub-section (4) of section 98, may appeal to the Appellate Authority.
 - (2) Every appeal under this section shall be filed within a period of thirty days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the concerned officer, the jurisdictional officer and the applicant:
Provided that the Appellate Authority may, if it is satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from presenting the appeal within the said period of thirty days, allow it to be presented within a further period not exceeding thirty days.
 - (3) Every appeal under this section shall be in such form, accompanied by such fee and verified in such manner as may be prescribed.
-

धारा 100 : अपील प्राधिकरण को अपील

- (1) धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय से व्यथित संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा।
- (2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको ईप्सित विनिर्णय के विरुद्ध की गई अपील की, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक को संसूचना दी जाती है, से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी :
परन्तु यदि अपील प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था तो वह तीस दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करना अनुज्ञात कर सकेगा।
- (3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगी तथा उसका ऐसी रीति में सत्यापन किया जाएगा, जो विहित की जाए।